उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-5

संख्या-77/2022/612(1)-1638905/2022/12-5099/45/2022

लखनऊः: दिनांक:: 06 अक्टूबर, 2022

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-74/2022/612-1638905/2022/12-5099/45/2022, दिनांक 21 सितम्बर, 2022 के अध्याय-2 के प्रस्तर-2.1 सामान्य के प्रथम पैरा में योजना वर्ष 2022-23 से 2027-28 के स्थान पर वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक पढ़ा जाए।

2- उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-74/2022/612-1638905/2022/12-5099/45/2022, दिनांक 21 सितम्बर, 2022 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त शासनादेश दिनांक 21 सितम्बर, 2022 की शेष शर्ते/प्राविधान यथावत रहेंगे।

राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिवप्रमुख सचिव/, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिवप्रमुख सचिव/, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिवप्रमुख सचिव/, नवीन एवं नवीनीकरण एवं ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. निदेशक, नवीन एंव नवीनीकरण एंव ऊर्जा मंत्रालय0ई0आर0एन0एम)), लोधी रोड, नई दिल्ली।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, नेडा, गोमतीनगर, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
12. अपर कृषि निदेशक)भू०सं०(, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/जनपदीय उप कृषि निदशक, उत्तर प्रदेश।
14. सहायक निदेशक (टरय एवं कम्प्यूसमन्व), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पोर्टल पर व्यवस्था करने हेतु।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in